

हरिनारायण (सार्वजनिक निगम) का

10/05/2025

आज्ञा पर्याही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
10/05	<p>पञ्चावली प्रस्तुत। वकील जार्जी उपस्थित।  अज्ञापी गण बावपूर तामील अनुपस्थित।  अतः अज्ञापी ल। न। 18 के विरुद्ध  एक हीय कार्यवाही की जाती है। जार्जी  के एक हीय बहस पुनी गई। प्रस्तुत  तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर मामला  अज्ञापी अज्ञापी एवं लुक्मिया का संतुलन  जार्जी के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। अतः  दिनांक 04.08.2025 को जारी अज्ञापी  अज्ञापी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निराकरण  तक स्पार्ड सिद्धाफल है। जार्जी के पक्ष  शुभार होकर दायित्व दफ्तार है।</p>	

*(Signature)*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

